

# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 68 /2020 दिनांक 08.01.2020

श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर को दिनांक 17.01.2020 से 20.01.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अजमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

  
07-1-2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/90/1996/ 178

दिनांक : 08.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर को उनके पत्रांक 711 दिनांक 17.12.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, अजमेर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अजमेर ।

  
8.1.2020

सहायक रजिस्ट्रार